कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया(म.प्र.)

:: विविध आदेश ::

क्रमांक 20 /दो–12–2/09 उमरिया, दिनांक 30.05.2020

रजिस्ट्री, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर(म.प्र.) के परिपत्र क्र. ए/1136 जबलपुर, दिनांक 29.05.2020 के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के कारण प्रभावशील लोकव्यापी लॉकडाउन के दौरान CIS 3.2 Software में E-Filing के मामले में अधिवक्ताओं को उत्पन्न हो रही समस्याओं को दूर करने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. जिला मुख्यालय–उमरिया सहित समस्त बाह्य न्यायालयों में केंद्रीयकृत फाईलिंग काउण्टर प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुला रहेगा।

2. यदि अधिवक्तागण, अभियोजन पक्ष अथवा पक्षकार किसी प्रकरण को दर्ज करवाने हेतु केंद्रीय फाईलिंग काउण्टर पर व्यक्तिगत् रूप से उपस्थित होते हैं, तो वह केंद्रीयकृत फाईलिंग काउण्टर पर उपलब्ध कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा और नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

3. केंद्रीयकृत फाईलिंग काउण्टर पर भीड़ एकत्रित होने से बचने के लिए संबंधित अभिभाषक संघ द्वारा अधिवक्ताओं से समस्त प्रकरण, याचिका, आवेदन पत्र, आपराधिक शिकायतें इत्यादि एकत्रित करने के पश्चात् दोपहर 12.00 बजे से 02.00 बजे के मध्य केंद्रीयकृत फाईलिंग काउण्टर पर जमा करवाये जा सकते हैं। जहां तक आपराधिक मामलों का संबंध है, तो चार्जशीट संबंधित पुलिस थाना द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

4. यदि किसी दिन 50 से अधिक मामले केंद्रीयकृत फाईलिंग काउण्टर पर प्रस्तुत किये जाते हैं तब कठिनाई तथा भीड़ से बचने के लिए केंद्रीयकृत फाईलिंग काउण्टर के प्रभारी अतिरिक्त मामलों को आगामी कार्य दिवस में संस्थित करने की कार्यवाही करेंगे।

5. प्रकरण के पंजीयन होने/प्रकरण में कोई कमी होने की सूचना पंजीयनकर्ता द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से दी जावेगी अथवा सी.आई.एस. साफ्टवेयर में स्क्रीन पर प्रदर्शित की जावेगी। इस हेतु समस्त अभिभाषकगण/पक्षकारगण अपने मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से प्रकरण के साथ देवें।

6. प्रकरण में कमी/त्रुटि होने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार केंद्रीयकृत फाईलिंग काउण्टर पर प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के मध्य कमी/त्रुटि को दूर कर सकेंगे।

7. केंद्रीयकृत फाईलिंग काउण्टर पर स्टॉफ, अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण द्वारा ''सोशल डिस्टेंसिंग'' का पालन किया जावेगा।

8. केंद्रीयकृत फाईलिंग काउण्टर की खिड़की पर 'सेनेटाईजर' की सुविधा उपलब्ध करवाई जावे तथा प्रत्येक व्यक्ति 'मास्क' पहनकर ही न्यायालय/कार्यालय /फाईलिंग काउण्टर पर उपस्थित होवे।

उपरोक्तानुसार निर्देश आगामी आदेश तक लागू रहेंगे।

सही/–
(सुरेन्द्र कुमार)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म०प्र०)

Scanned by CamScanner

पृष्ठा. क्रमांक 659 /दो–12–2/09 उमरिया, दिनांक 30/05/2020

प्रतिलिपिः–

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2 समस्त प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, न्यायालय–उमरिया/मानपुर/बिरसिंहपुर पाली की ओर प्रेषित कर लेख है कि फाईलिंग काउण्टर पर पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित किया जावे।

3 समस्त न्यायिक अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग उमरिया/मानपुर/बिरसिंहपुर पाली

4 कलेक्टर, जिला उमरिया

5 पुलिस अधीक्षक, जिला उमरिया

6 अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उमरिया/मानपुर/बिरसिंहपुर पाली।

7 शासकीय लोक अभियोजक, उमरिया

8 जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उमरिया

9 जेल अधीक्षक, जिला जेल, उमरिया

10 जिला विधिक सहायता अधिकारी, उमरिया

11 प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उमरिया

12 प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया/परिवार न्यायालय, उमरिया

13 सिस्टम आफिसर/आई.टी. अस्सिटेंट/डी.एस.ए., जिला न्यायालय, उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14 जिला नाजिर, जिला न्यायालय उमरिया

15 समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जिला नाजिर, एक प्रति तत्काल न्यायालय के मुख्य द्वार एवं जिला न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा करे।

30.05.2020

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश

उमरिया (म०प्र०)

Scanned by CamScanner